


हेतु दिनांक ५/५/२२ को पेश हो।


उप पर उच्च न्यायालय
कलकत्ता (बंगाल)

५/५/२२

प्राची वकील उपास्थित । प्राची वकील विप्राधीगव को जारी राफ. एन. सी ट्रेम को-सीमे-२ (डिलीवरी डाम रिपोर्ट) पेश करने हेतु दिनांक १८/५/२२ को पेश हो।


उप पर उच्च न्यायालय
कलकत्ता (बंगाल)

१८/५/२२

प्राची वकील उपास्थित । विप्राधीगव को जारी नोटिस की राफ. ट्रेम रिपोर्ट के बाद इतला के बावजूद अनुपस्थित । पत्रावली चालते अगामी कार्यवाही हेतु दिनांक २८/५/२२ को पेश हो।


उप पर उच्च न्यायालय
कलकत्ता (बंगाल)

२८/५/२२

प्राची वकील उपास्थित । विप्राधीगव को जारी नोटिस राफ. एन. सी ट्रेम रिपोर्ट के बाद इतला के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के बिना एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है । पत्रावली चालते अदर हेतु दिनांक ३/६/२२ को पेश हो।


उप पर उच्च न्यायालय
कलकत्ता (बंगाल)

३/६/२२

प्राची वकील उपास्थित । प्राची वकील को एक पक्षीय अदर सुनी गयी प्राची का अर्चना पत्र स्वीकार किया गया । आदेश अलग से

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

अथवा १
पत्रावली - जेशल सुमार होकर दारिज

अथवा १

पत्रावली - जेशल सुमार होकर दारिज

इफतर हो

उत्तरांचल राज्य सरकार
मुख्यालय, गोरखपुर